

आज का सुविवार
जिंदगी में जिसने
समय को मान
लिया, उसने
अपने आप को
जान लिया।

साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

वर्ष 9, अंक- 37

www.yuvapradesh.in

मोपाल, शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024

ypnews24@gmail.com



जिले एवं तहसीलों में संवाददाता

नियुक्त करना है।

संपर्क करे - 9425156055

पृष्ठ -8 मूल्य 2 रुपये

BNS - 244, किसी दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने के मिथ्या दावा करना कब दण्डनीय अपराध होता है जानिए

जब कोई सिविल न्यायालय या कोई अधिकारी यह आदेश कर देता है की संपत्ति किसी विधिक पक्षकार की है एवं कानूनी तोर पर उसे ही मिलना चाहिए या मिल गई है, इस बात को जानते हुए भी कोई विरोधी पक्षकार या अन्य व्यक्ति जबरदस्ती या जानबूझकर कर उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मिथ्या दावा न्यायालय में या अधिकारी के समक्ष करता है। तब वह व्यक्ति को कानून क्या सजा देगा जानिए-



युवा प्रदेश समाचार पत्र

- लेखक बी.आर.
अहिरवार एडवोकेट एवं
विधिक सलाहकार
होशंगाबाद

9827737665

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 244 की परिभाषा- जो कोई व्यक्ति यह जानते हुए की किसी संपत्ति में उसका कोई हित नहीं है या वह संपत्ति किसी दूसरे के अधिकारी की है एवं जानते हुए फिर भी कपटपूर्वक उसे प्राप्त करने के लिए झूठा दावा करेगा या मिथ्या दावा सिविल कोर्ट में दर्ज करेगा तब वह व्यक्ति BNS की धारा 244 के अंतर्गत दोषी होगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita,2023
Section 243 Provision of punishment

यह अपराध सं असङ्गेय एवं यह जमानतीय अपराध होते हैं, अर्थात् पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है लेकिन पुलिस अधिकारी NCR लिख सकती है, इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है। एवं सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

सजा- इस अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

वया है दोहरे दण्ड से संरक्षण का मौलिक अधिकार, शासकीय सेवकों के लिए

खास- Fundamental rights in India

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है एवं सभी को समान विधि के अनुपार न्याय मिले सके, इसलिए संविधान में नागरिकों को बहुत से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ विधियां मौलिक विधि होती हैं और कुछ विधियां कानूनी होती हैं। मौलिक विधि, वह विधि होती है जिसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त होता है एवं कानूनी विधि वह विधि होती है जो राज्य सरकार के बनाई जाती है एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अरोपी व्यक्ति को दोहरे दण्ड से कब संरक्षण प्राप्त होता है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20(2) की परिभाषा- किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दण्डित नहीं किया जाएगा। साधारण शब्दों में कहे तो किसी पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में विभागीय अधिकारी द्वारा दण्डित किया गया है एवं उसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्ड संहिता की धारा के अंतर्गत दण्डित किया गया है तब ऐसा अधिकारी दोहरे दण्ड का संरक्षण लेने का अधिकार रखता है एवं न्यायालय द्वारा मौलिक विधि के अंतर्गत ही दण्ड मान्य होगा न की कानूनी विधि के अंतर्गत।

दोहरे दण्ड से संरक्षण के अधिकार लिए तीन शर्तों का होना आवश्यक है-

1. व्यक्ति का आरोपी होना आवश्यक है।

2. कार्यवाही या विचारण किसी न्यायालय या न्यायिक अभिकरण के समक्ष हुई हो।

3. आपराधिक मामला किसी विधि अपराध के संबंध में हो एवं जिसमें दण्ड का प्रावधान भी हो।

- लेखक - बी.आर. अहिरवार

(पत्रकार एवं एडवोकेट होशंगाबाद) 9827737665

प्रतियोगिता में भाग लेने से मिलता है नया जोश और मनोबल : राज्यपाल श्री पटेल

राज्यपाल श्री पटेल केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिकार भारतीय स्पर्धा के शुभारम्भ कार्यक्रम में शामिल हुए

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रतियोगिता में भाग लेने से नया जोश और मनोबल तो मिलता ही है, साथ ही अपने और दूसरों के प्रदर्शन के अनुभव से कौशल का नया स्तर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में ज्ञान और कौशल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हार-जीत से कही अधिक महत्वपूर्ण हमारी संस्कृति, सुसंस्कृत जीवनशैली की गिराव और गौरव का सम्मान है। राज्यपाल श्री पटेल आज केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित अखिल भारतीय क्रीड़ा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्पर्धा, युवा महोत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।



विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, युवा संसद जयपुर के संस्थापक श्री आशुषोष जोशी मंचासीन थे। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि आधुनिक मानव जीवन से जुड़े क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, अत्मनिर्भर एवं स्वाकल्बी जीवन आदि कई विषयों में संस्कृत के साथ कम्प्यूटर कार्डिंग प्राप्तिका आज बढ़ रही है। दुनिया में संस्कृत भारत की सौफल पावर का सबसे प्रमुख ज़रिया है। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिसमें संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक और शोध पक्क दृष्टि से देखा जाए और ज्ञान के नए स्वरूप को प्रकाशित किए जाए। समय की आवश्यकता है कि हमारे पास ऐसे युवा हों, जिनमें संस्कृत के साथ कम्प्यूटर कार्डिंग की तकनीक और अनुसंधान का संवर्धन होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रों के समग्र, सर्वांगीण विकास में ऐसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल स्पर्धाओं के आयोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परम्परा के संरक्षण एवं संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाने और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की सराहना की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुंबई में इंडिया कैम - 2024 को करेंगे संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शक्तवार 18 अक्टूबर को मुंबई में इंडिया कैम-2024 में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन की थीम एडवोटेज भारत-इंडियन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स पैविंग द प्लूचर है। इस अवसर पर 13वीं द्विवार्षिक 3ंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा सहित केन्द्र सरकार और अनेक राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुंबई में 17-19 अक्टूबर 2024 तक हो रहे सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अलावा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक राज्यों के अनुप्रिया पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल, ओडिशा के उद्योग राज्य मंत्री श्री संपद चंद्र स्वैन, सचिव रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा, अध्यक्ष फिक्सी और सीएमडी दीपक नाईट्रोटेक्सी, एवं एमर्सेल मित्तल एन्जी लिमिटेड श्री प्रभा दास हिस्सा लेंगे।

लिमिटेड श्री दीपक मेहता, कार्यकारी निदेशक रिलायंस लिमिटेड श्री निखिल मेसवानी, एवं ऑनिक इंडस्ट्रीज के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य और एशिया प्रशासन के अध्यक्ष डॉ. कलॉन रेटिंग, अध्यक्ष फिक्सी रीलाय एंटोकेमिकल्स समिति और एमडी और सीईओ, एचएमईएल मित्तल एन्जी लिमिटेड श्री प्रभा दास हिस्सा लेंगे।

भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने 3589.4 करोड़ की मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश को विकास पथ की अमूल सौंगत देने पर उनका आभार माना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेडेशन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यातायात सुगमता के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को मिली इस सौंगत के लिये प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री का आभार माना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश में भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदेश, विदेश से ग्यारासपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा पैकेजों के लिए 3589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे व्यापारिक गतिविध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में साइबर क्राइम की एक समस्या भी एक बड़ी समस्या बन गई है की साइबर क्राइम की समस्या से निपटने और महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इन विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है:-

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal):

[वेबसाइट: cybercrime.gov.in]

यह एक भारत सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल है जहाँ कोई भी साइबर अपराध, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, की शिकायत दर्ज और उसकी जांच कर सकता है।

यह पोर्टल 24x7 उपलब्ध है और शिकायत दर्ज कराने समय पहचान को गुप्त भी रखा जा सकता है। तथा पहचान को सार्वजनिक भी किया जा सकता है यह condition पर

निर्धारित करता है कंप्लेंट की पहचान सार्वजनिक करनी है या गुप्त करनी है।

नजदीकी स्थानीय थाना में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं स्थानीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन- भारत के हर राज्य और जिले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होते हैं। महिलाओं को इन पुलिस स्टेशनों में जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करने के यह सबूत होना अनिवार्य है (के सबूत जैसे ईमेल, मैसेज, सोशल मीडिया प्रोफाइल आदि) के साथ जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग- NCW द्वारा भी महिलाओं के

प्रति होने वाले साइबर क्राइम के अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करता है तथा महिलाओं की इसमें मदद करता है महिलाओं के प्रति खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों को भी देखता है और महिलाओं की मदद करता है। आप NCW को अपनी शिकायत ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

(1091 महिला हेल्पलाइन)

आप 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके साइबर अपराध के बारे में जानकारी दे सकती हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हैं।

स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती हैं- किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। पुलिस आपकी शिकायत को संबंधित साइबर क्राइम सेत को भेजती है। तथा आपकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जा सके तथा पुलिस व साइबर क्राइम को आपकी कंप्लेंट के आधार पर उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए जा सके शिकायत दर्ज करते समय यह ध्यान रखें की जितनी जटिल हो सके महिला अपने प्रति होने वाले साइबर क्राइम के अपराधों की कंप्लेंट जल्द से जल्द दर्ज करवा सके ताकि अपराधी जल्द पकड़ा जा सके तथा आपके सबूत नष्ट न हो सके , ताकि अपराधी को सख्त सजा मिल सके।

सरकार की दोहरी शिक्षा नीति गरीब वर्ग के लोगों के खिलाफ : जियालाल प्रदेश प्रभारी

मूलचन्द्र मेधोनिया पत्रकार भोपाल

भोपाल। चैत बुद्ध विहार भैया साहब, सैकंड स्टाफ, पंचशील नगर भोपाल में एक शाम बाबा साहब के नाम का आगाज बुद्ध वंदना के साथ सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री जियालाल जी की उपस्थिति में केंद्र केम्प के दौरान उन्होंने बताया कि आज भोपाल राजधानी जैसे शहर में एक महिने में तीन बच्चीयों के साथ दुकर्म होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि नाबालिंग बच्ची कन्या स्वरूप का ढोंग किया जाता है। वही तीन साल की बच्ची के साथ निर्दीय कृत्य होने शास्त्र, प्रशास्त्र पर साबालिंग प्रशन खड़ा होता है। श्री जियालाल जी ने सरकारी शिक्षा नीति और उनकी मंश साहित सरकार की शिक्षा के नीति को विस्तार से बताते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर जी ने कानून बनाते समय बिना भेदभाव किये सभी को सामान्य शिक्षा नीति का नियम लागू किया था। जिसके माध्यम से गरीब से लेकर सेठ साहबकार या नौकरी पेश वालों के बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेकर सामान्य रूप से पढ़ते हैं। लेकिन सरकार की मंश गरीब बच्चों को बेरोजगार, बनाने की है। जिसके तहत स्कूलों में माध्यम भोजन, साइकिल वितरण, शाला गणवेश देकर इसी में गरीबों के बच्चों को उलझाने की है। तथा बताया है कि गरीबों के बच्चों के पर्याप्त पढ़ने हेतु शिक्षकों का आज भी अभाव है। कक्षा पहली से आठवीं तक के गरीब बच्चों को बिना परीक्षा के पास करके उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है। वही अमीर लोगों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों के संचालन कर उन्हें ठीक



अमर शहीद वीर मनीराम जी के सानाम में
अनुसूचित जाति वर्ग है मैदान में।
जय संविधान।
जय मनीराम॥

हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

वीर मनीराम जी को सरकार सम्मानित करें: बृजेश आर्य

से शिक्षा देकर गरीबों का आहित किया जा रहा है। पूरे देश में बड़े महीनी फीस के स्कूलों की मान्यता देकर गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप आज बेरोजगारी चर्चा पर है। अतः सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ उनकी मंशाकारी को आवाज उठानी चाहिए। तथा सभी नागरिकों को बराबरी के साथ सरकारी मुफ्त शिक्षा दी जाये जहाँ विधायक, सांसद, इंजीनियर, डॉ.

आईएएस, आईपीएस सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा बराबरी की होकर सभी का भला होगा। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने के लिए सामाजिक केंद्र लगाये जाते हैं। जिसमें नर्मदापुराम जिले के पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष श्री बृजेश आर्य ने भी बहुजन समाज में जन्म सतों, गुरुओं, महान क्रांतिकारी के रास्ते पर चलने हेतु

मेरे दादा जी ने सन 1942 में अंग्रेजी सेना से सुदूर किया और अंग्रेजों की प्रताड़ा से शहीद हुए। लैंकिन जातिगत भेदभाव रखने वाले कुठित मानसिकता रखने वाले नेताओं ने हमारे दादाजी का नाम छुपा कर हमारे साथ ही नहीं सम्पूर्ण बहुजन कौम के साथ अन्याय किया है। मेधोनिया ने समस्त बहुजन समाज का आभार व्यक्त करते हुए अपील की है कि सभी सामाजिक नागरिक जन अमर शहीद वीर शहीद मनीराम अहिवार जी के समान हेतु आवाज उठायें और समाज को जागरूक करें। संघों में अनेक बुद्धिजीवीयों की उपस्थिति रही।



श्रीफल और जनेऊ के साथ विप्र समाज में सदस्यता अभियान का हुआ शंखनाद

अनूपपुर। विप्र समाज के सदस्यता अभियान हेतु नवाचारी बैठक राम जानकी मंदिर अनूपपुर में वृहद संख्या में उपस्थित होकर विद्वान् सम्पर्णित विप्रजनों द्वारा भगवान परशुराम के जयथोष के साथ प्रारंभ हुआ। जिसमें आगामी कार्य योजना क्रियान्वयन हेतु सर्वसम्पत्ति से विभिन्न प्रस्ताव उत्साहपूर्वक परित किया गया।

योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान: अनूपपुर में विप्र समाज के सदस्यता अभियान संबंधी बैठक में सर्वसम्पत्ति निर्णय लिया गया कि सदस्य अभियान का आगाज अमरकंटक से सर्वप्रथम विप्र सलिल के लिए विद्वान् प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ वाहाना विद्वान् परशुराम के जयथोष के साथ प्रारंभ हुआ। अतः सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ उनकी भविष्य चौपट किया जा रहा है। तथा सभी नागरिकों को बराबरी के साथ सरकारी मुफ्त शिक्षा दी जाये जहाँ विधायक, सांसद, इंजीनियर, डॉ.



समर्पित: सदस्य अभियान में सदस्यता हेतु पंडित रामनारायण द्विवेदी, चैतन्य मिश्र, विद्याधर पांडे, जगनाथ मिश्र, रामशरण शर्मा, बिहारीलाल, मधुसूदन द्विवेदी, सुरेंद्र शुक्ला, जितेंद्र पांडेय, राजमणि पांडेय, पंडित कमलेश द्विवेदी, आर पी गौतम, मधुकर चतुर्वेदी, रोहिणी तिवारी, सुधीर द्विवेदी, श्रीनिवास तिवारी, देवानंद शुक्ला, बी एल पाठक, अनिल कुमार मिश्र, दिनेश मिश्र, विजय पाठे, जय प्रकाश पाठेय जी, अवधेश सिंह तिवारी, संदीप मिश्र, संजय मिश्र, अयोध्या तिवारी, ब्रह्मनन्द गण, अमित मिश्र, डी पी मिश्र आदि ने श्रीफल और जनेऊ का समर्पित।

श्रीफल महिला विप्र समाज का गठन: विप्र समाज के सदस्यता अभियान हेतु आयोजित बैठक के उपरान्त उपस्थित समस्त विप्र जनों द्वारा सर्वसम्पत्ति से यह निर्णय लिया गया कि योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान उपरान्त सशक्त महिला विप्र समाज का गठन भी किया जायेगा।

विप्र भेट समायोजन का होगा आयोजन: अनूपपुर में आयोजित बैठक में विप्र समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित अध्यक्ष और सदस्य द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी भगवान परशुराम जयती पर विशाल रूप में विप्र भेट कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

विप्र भेट समायोजन का होगा आयोजन: अनूपपुर में आयोजित बैठक में विप्र समाज के विभिन्न संगठनों के उपस्थित अध्यक्ष और सदस्य द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी भगवान परशुराम जयती पर विशाल रूप में विप्र भेट कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

शारदीय नवरात्रि पंचमी को शा.प्रा.पाठ.जमुनिया में कन्या भोज का हुआ आयोजन



अनूपपुर। जिले के संकुल उल्कृष्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक अनूपपुर अंतर्गत शासकीय प्राथमिक पाठ्यशाला जमुनिया में शारदीय नवरात्रि की पंचमी के शु

भगवा पार्टी की शिकायत को अगर जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया होता, तो गुजरात पुलिस की ज़गह मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यवाही की जाती- कमलेश द्विवेदी

भोपाल में 1,814 करोड़ की ड्रग्स

फैक्ट्री का पर्दाफाश का मामला

अनूपपुर- भारतीय गण वर्ती पार्टी (भगवा पार्टी) अनूपपुर के जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भोपाल में 1814 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दा पास मध्य प्रदेश सरकार की ड्रग्स नीति की पोल खोल कर रख दी है क्योंकि अगर भारतीय गण वर्ती पार्टी के द्वारा भोपाल जिला प्रशासन को पहले ही अगाह किया गया था कि उक्त फैक्ट्री में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं जिस पर अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद गुजरात पुलिस को आकर इस फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मध्य प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक दाग नहीं लगता ज्ञात हो कि गुजरात की पुलिस के द्वारा भोपाल में 1814 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफास करने से चार दिन पहले ही फैक्ट्री की प्रदूषण और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्यवाही के लिए भोपाल जिला कलेक्टर भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भारीव ने भोपाल कलेक्टर पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की थी भोपाल में 1,814 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा पूरे देश को हिला देने

बाला है। गुजरात एटीएस और दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र स्थित इस फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, इस ड्रग्स से 18 लाख से ज्यादा युवाओं को नशे की लत लगाई जा सकती थी। गुजरात एटीएस ने नासिक के सान्याल बाने, भोपाल के अमित चतुर्वेदी और मंदसौर के हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। सान्याल पहले से ही ड्रग्स मालमें सजा काट चुका था और

कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया था। इस फैक्ट्री में इंवैर्टर और उज्जैन से आए कच्चे माल से प्रतिदिन 25-30 किलो ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री का वेंटिलेशन सिस्टम असामान्य था, जिसने जांच टीम के शक को बढ़ाया। गुजरात एटीएस की टीम ने फैक्ट्री पर एक महीने तक निगरानी रखी, जिसके

बाद छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन से पहले भगवा पार्टी ने फैक्ट्री के संदिग्ध गतिविधियों और प्रदूषण को लेकर चार दिन पहले ही भोपाल जिला कलेक्टर को पत्र लिखा था। अनूपपुर जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने बताया कि अगर जिला प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया होता, तो मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा ही इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जा सकती थी। उन्होंने इसे भोपाल प्रशासन की बड़ी चूक बताते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। यह ऑपरेशन भोपाल और पूरे देश में अवैध ड्रग्स के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्यवाही है, लेकिन इस फैक्ट्री की संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते ध्यान न दिए जाने के कारण प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता पर सवाल उठे हैं। वही भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश द्विवेदी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार भारीव को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर प्रदेश की सरकार पहले जाग जाती तो मध्य प्रदेश के मुंह में यह कालिख पुतने से बच जाती।



भगवा पार्टी
पोल. : 06/141/2022-23
फोन : 0755-4058751,
मो. : 9340110436,
9693451772, 6261335799
पत्रिका ०२
विषय: ०३
महीना ०३
उपरोक्त विवरणतात् अनुरोध है कि ग्राम पंचायत बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र फैले रहे प्रदूषण को जनहित में रोकें हेतु उपरोक्त रखने हुये खालीसा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उपरोक्त संलग्न पत्र का अवलोकन कर उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुये जनहित में तालाक कारबाही करने का करें।
धन्यवाद।

भगवा पार्टी
प्रांतीय गण वर्ती पार्टी
पत्रिका ०२
विषय: ०३
महीना ०३
उपरोक्त रखने हुये खालीसा औद्योगिक क्षेत्र फैले रहे प्रदूषण को जनहित में रोकें हेतु उपरोक्त रखने हुये खालीसा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उपरोक्त संलग्न पत्र का अवलोकन कर उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुये जनहित में तालाक कारबाही करने का करें।
धन्यवाद।

भगवा पार्टी
प्रांतीय गण वर्ती पार्टी
पत्रिका ०२
विषय: ०३
महीना ०३
उपरोक्त रखने हुये खालीसा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उपरोक्त संलग्न पत्र का अवलोकन कर उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र फैले रहे प्रदूषण को जनहित में रोकें हेतु उपरोक्त रखने हुये खालीसा द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, उपरोक्त संलग्न पत्र का अवलोकन कर उक्त प्रकरण को ग्राम पंचायत को ध्यान में रखते हुये जनहित में तालाक कारबाही करने का करें।
धन्यवाद।

ब्यौहारी में बढ़ता गुंडागर्दी का माहौल



शहडोल/ब्यौहारी - आपको बता दे कि कल दिनांक 10/10/2024 को ब्यौहारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बरहा टोला के बिजहा गांव में वीरू सोनी पिता रामसुमीरान सोनी (मुंडाली)ने कई लोगों को मार कर घायल कर दिया। जिसमें सबसे पहले रजनीश पटेल पिता रामनेवाज पटेल को जमीनी विवाद के कारण मारा उसके बाद अंगद पटेल पिता महेश पटेल को बकरी ले कर रास्ते से जा रहे था तभी बकरा को बेवजह बात पर वीरू सोनी ने 2,3 लड़ मार दिया। जब वही पर खड़े अंगद पटेल ने मारने का कारण पूछा तो अंगद को भी कई लाठी मारा और गली देते हुए जान से मारने की कोशिश भी की और धमकी भी दिया इसके बाद भी कुछ लोगों को भी मारा जिससे ग्रामीणों में डर



का माहौल बना है जिसकी वजह से ग्रामीण एफआईआर करने से भी कतरा रहे हैं लोगों के द्वारा 100 डायल करके पुलिस विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद फरियादी अंगद पटेल ब्यौहारी थाना जाकर मौखिक नामजद एफआईआर दर्ज कराई जिसमें निम्न धाराएं लगी हुई हैं इसके बाद रजनीश पटेल भी ब्यौहारी थाना जाकर एफआईआर नामजद एफआईआर दर्ज कराई।

स्टेयरिंग फेल होने से स्कूल वैन पलटी बच्चे घायल

ज्ञान चन्द शर्मा

वारासिवनी। थाना क्षेत्र अंतर्गत खापा और मेहदीवाडा के बीच गुरुवार को एक स्कूली वैन की स्टेयरिंग फेल होने से सड़क किनारे पलट गई हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वारासिवनी थाना प्रभारी विभेदु व्यक्ट कटाडिया ने बताया है कि सुबह लगभग 9/10 बजे भारतीय विधापीठ स्कूल के बच्चे वैन में स्कूल जा रहे थे तभी स्कूल वैन में बच्चे शिक्षक और चालक लगभग 24 लोग मौजूद थे जो स्टेयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उत्तर गई जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे थे घटना में छात्र आयुष छात्रा प्रज्ञा आराध्या और काव्या को मामूली चोट आई है। तालाब में डूबने से बालिका की मौत के मामले में मर्ग कायम किया हारिशा पिता आशिद अली 16 वर्ष वार्ड.न 10 अंबेडकर निवासी की नेवरगांव तालाब में डूबने से मौत हो गई है।

ज्ञान चन्द शर्मा

बालाघाट। जिले के लामता अंतर्गत खापा और मेहदीवाडा के बीच गुरुवार को एक स्कूली वैन द्वारा दिखाई देने से सड़क किनारे पलट गई हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वारासिवनी थाना प्रभारी विभेदु व्यक्ट कटाडिया ने बताया है कि सुबह लगभग 9/10 बजे भारतीय विधापीठ स्कूल के बच्चे वैन में स्कूल जा रहे थे तभी स्कूल वैन में बच्चे शिक्षक और चालक लगभग 24 लोग मौजूद थे जो स्टेयरिंग फेल होने से अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उत्तर गई जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे थे घटना में छात्र आयुष छात्रा प्रज्ञा आराध्या और काव्या को मामूली चोट आई है। तालाब में डूबने से बालिका की मौत के मामले में मर्ग कायम किया हारिशा पिता आशिद अली 16 वर्ष वार्ड.न 10 अंबेडकर निवासी की नेवरगांव तालाब में डूबने से मौत हो गई है।

लामता क्षेत्र मैं मादा तेंदुए की आहट से दहशत मैं गामीण

ज्ञान चन्द शर्मा

तेंदुए के हमले की घटना हो सकती है ग्रामीणों का कहना है कि वनविभाग को रात्रि गश्त कर तेंदुए को जंगल में भेजना चाहिए ताकि नागरिक सुरक्षित रह सके वन क्षेत्र उत्तर लामता में तेंदुए के दिखाई देने की घटना पर परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव बताते हैं कि लामता में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली है विगत सात आठ माह से मादा तेंदुआ अपने दो शावकों साथ रेज में घूम रही है जो पहले क्षेत्र के अरनामेटा चांगोटोला और नगर वाडा में दिखाई दी थी जहा पिंजरा और मुनादी कराएं।

जाने के बाद पटाखे फोड़ जाने से वह अब लामता में आ गई है विभाग लगातार गश्त कर लोगों को उससे बचाव के लिए जागरूक कर रहा है उसे फटाखे फोड़कर भगाने का किया जा रहा है जिससे वह शावकों के साथ जंगल की ओर चले जाए यहाँ भी पिंजरा लगाकर गश्त की जा रही है लोगों से अपील है कि वह अकेले घुमे या खुले में शौच करने ना जाए अपने साथ लाठी रखे जनसहयोग की अपेक्षा है चूकि बन्धनारी तेंदुआ स्वभाव से हिंसक होता है कुछ समय बाद वह चला जाएगा।

आग की लपटों से घिरी कार, चालक ने फुर्ती दिखाकर बचाई अपनी जान, पुल पर दिखा खौफनाक नज़ारा

रिपोर्ट देवेन

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के विरुद्ध भोपाल पुलिस की कार्यवाही

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल

नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के विरुद्ध भोपाल पुलिस ने की कानूनी कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिशनर कार्यालय सभागार एवं सभी थानों में बैठक आयोजित कर ध्वनि संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया था कि त्योहारों के दौरान सभी संचालक नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे, जिसके उपरांत सभी थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्यवाही की गई थी।

उपरांत त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही संचालित करें। त्यौहारं के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई तथा दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिन्हित कर संचालकों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्ध, बीमार एवं आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं पुलिस को भी शान्ति एवं सुरक्षा



व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्कत हुई। उपरोक्त कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी। उक्त सभी ढीजे को जस कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

ਦਿਨਦਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹਾ ਰੇਤ ਕਾ ਅਵੈਧ ਖਨਨ

रिपोर्ट-राजू राय



शाहडोल। जिले में अवैध उत्खनन कर परिवहन जोरों शोरों पर चल रहा है। अब तो दिनदहाड़े माफिया रेत और मिट्टी का खनन कर परिवहन कर रहे हैं, जिसका बीड़ियो सम्पन्ने आया है। जैतपुर थाना क्षेत्र के चौकी झींक बिजुरी के गौशाला के समीप दिनदहाड़े जेसीबी लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौकी प्रभारी की शह पर यह काला कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। झींक बिजुरी के गौशाला के समीप मिट्टी का अवैध खनन करने का बीड़ियो सोशल मीडिया में



फाइल फोटो

जिनका एक ऑडियो बीते कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। जिसमें वह गांव के एक युवक से मुर्गे की मांग कर रहे थे। ऑडियो ने कुछ दिन पहले पुलिस की छवि को धूमिल की थी, लेकिन अधिकारियों ने चौकी प्रभारी पर काई कार्रवाई नहीं की। आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि ऑडियो वायरल होने के बाद भी कार्रवाइ न होने से चौकी प्रभारी के हाँसले और बुलंद हो गए, अब तो वह दिनदहाड़े खुलेआम रेत व मिट्टी का खनन करवा कर परिवहन करवा रहे हैं और माफिया से हर महीने मोटी रकम ले रहे हैं।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय में नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश



गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर मानसिक रोग विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों, नरिंग टीचर्स, मेडिकल एवं नरिंग छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मेडिकल के छात्रों द्वारा मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक नुक़ड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई जिसमें सन्देश दिया गया कि मानसिक रोग उपरी हवा या धूत प्रेत कि वजह से नहीं होते। मानसिक रोग होने पर मनोचिकित्सक द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं दवाओं के माध्यम से उपचार करवाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय की अधिकारियां ने अपने उद्घोषण में मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाते हुए सभी को प्रसन्नचित्त रहते हुए कार्यस्थल पर कार्य करने का सन्देश दिया। नुक़ड़ नाटक के पश्चात मानसिक रोग विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम - कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय यही है, पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश मेडिकल टीचर्स एंड एजेंशन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपने उद्घोषण में विभाग द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों कि सराहना की एवं वर्क-कल्चर बेहतर होने कि जरूरत पर बल दिया। मानसिक रोग विभाग के विभागाध्यक्ष ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के इतिहास एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 13.9 लाख आवादी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, पर जागरूकता के अभाव में ट्रीटमेंट गैप 90% से भी अधिक है। उन्होंने मानसिक रोगों से बचाव एवं उपचार के तरीके बताये। सह-प्राध्यापक डॉ. रुचि सोनी ने अपने व्याख्यान में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने के गुरु बताये। विभाग की सहायक प्राध्यापक ने मानसिक रोगों के लक्षण बताये जिससे मानसिक रोगों कि समय रहते पहचान हो सके एवं रोगी को त्वरित उपचार उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के अंत में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित रंगोली, पोस्टर एवं स्लोगन कम्पीटीशन के विजेता छात्रों एवं नुक़ड़ नाटक के सहभागियों को विशिष्ट अतिथि, हमीदिया चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये।

**सौ दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों
का निराकरण अति शीघ्र सुनिश्चित करने का
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिया निर्देश**



रिपोर्टर देवेन्द्र कमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समय-सीमा पत्रों की सासाहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों और समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा कर उनका समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागों में लिंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। उन्होंने विशेष रूप से 100 दिनों से अधिक समय से लिंबित शिकायतों का उल्लेख करते हुए उनका निराकरण शीघ्र-अति शीघ्र सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लिंबित न रखा जाए। कलेक्टर ने राजस्व अधियान में आई प्रगति की सराहना की और अधिकारियों को इसे निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, अवैध कॉलोनियों से संबंधित प्रकरणों पर कड़ी नजर रखते हुए, इनका शीघ्र निपटारा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध

कॉलेजियों के मामलों की प्रभावी निगरानी और समाधान के लिए एक 'कॉलेजी सेल' का गठन किया जाए, जिससे इस प्रकार के मामलों का उचित और समयबद्ध समाधान हो सके। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण निर्धारित समय-सीमा के बाहर न जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रत्येक विभाग अपनी-अपनी योजनाओं और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करे और प्रगति की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इसके साथ ही माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि लोक कल्याण शिविरों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों का त्वारित समाधान किया जाए, ताकि आप जनता को अधिकतम राहत मिल सके। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जोर देकर कहा कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाये, जिससे जनता तक इनका लाभ प्रभावी रूप से पहुँचे और जिसे में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।

डंपर की टक्कर से युवक घायल

ज्ञान चन्द्र शर्मा

बालाघाट। लालबर्रा थाना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है पुलिस ने बताया है कि योगेश हरिनखेडे 34वर्ष साहूटोला मांझापुर निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने बताया है कि डंपर क्रमांक एमपी 22 जेइसी 5053 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है पीडित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शगू डंपर चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले में विवेचना में लिया है।

राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन



में पूरी टीम जबलपुर के 84 स्नों पर आउट हो गई और 33 स्नों से भोपाल ने मैच जीत के फाइनल में प्रवेश किया। गैरतलब है कि मध्यप्रदेश की 68वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 18 अक्टूबर को खेल जाएगा।

टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अवार्ड पंचायत चीकली के साथ अन्य 106 ग्राम पंचायतों को मिला

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़



देवरी। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के अंतर्गत जिले की टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को अवार्ड वितरण समारोह लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा गञ्जमंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तथा सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी के मुख्य अधिकारी में सम्पन्न हुआ। जिसमें स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री पटेल तथा विधायक डॉ चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान अंतर्गत वर्ष 2023 में रायसेन जिले की कुल 107 चयनित टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा सचिवों को महात्मा गांधी जी की प्रतिमा और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत चीकली से सरपंच श्रीमती किरण देवेंद्र पटेल को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन, कलेक्टर श्री अरविंद दुबे, एसपी श्री कमलेश कुमार, समाजसेवी श्री राकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

पटवारी अपने हल्के व ग्राम पंचायतों में समस्याओं के निराकरण हेतु लगाएं शिविर- कलेक्टर

विभागीय दौरे के दौरान स्कूल, कालेज, छात्रावास, एवं आंगनवाड़ी का भी नियीक्षण करें अधिकारी- कलेक्टर

कलेक्टर ने की समयावधि पत्रों की समीक्षा

शहडोल - कलेक्टर डॉ. केदार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सभी विभागों की विभागावार समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित करते हुए कहा है कि पटवारी अपने हल्का क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में आप जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु सत्राह में 2 दिन शिविर लगाएं। उन्होंने कहा है कि पटवारी शिविर के दौरान आप जनों से प्रातः शिकायतों एवं समस्यों को अच्छी तरह से समझेंगे।



तथा उनका निराकरण हेतु उचित कार्यवाही करेंगे। शिविर के दौरान पटवारी खाद्यान्न, पेंशन, बीपीएल संबंधी, नामांतरण, बटांकन, नक्सा तरीम सहित अन्य शिकायतों के आवेदनों में से राजस्व संबंधी शिकायतों को स्थायं तथा अच्युत शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारी को निराकरण हेतु प्रेषित करेंगे। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए हैं कि वे शिविर लगाने हेतु कार्य योजना बनाएं तथा कार्य योजना बनाकर शिविर लगाने की कार्यवाही करें। बैठक में कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने विभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर श्रीमती प्राप्ति वर्मा, व्योहारी श्री नरेंद्र सिंह धुर्वे, जैतपुर श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहर, श्रीमती ज्योति परस्ते श्रीमती अन्तोनियो एका सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।

कृष्णा चौधरी ने हॉस्पिटल में जाकर किया रक्तदान

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़

नर्मदापुरम। जिले के इटारसी (जुझारपुर) गांव में रहने वाले कांगेस अनुसूचित जाति विभाग के मीडिया समन्वयक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले कृष्णा चौधरी ने नर्मदापुरम जाकर एक जरूरतमंद को रक्त दान किया है जिनकारी के मुताबिक जुझारपुर निवासी कृष्णा ने ?शिवराज अहिरवार निवासी बाबई नर्मदाअस्पताल में भर्ती है उन्हें Ab+ रक्त की अवश्यकता थी और जब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हुई जैसे ही कृष्णा को अवगत हुआ तो नर्मदापुरम पहुंचकर रक्तदान किया कृष्णा ने अबतक 5 बार रक्तदान किया। इससे पहले भी कई बार रक्तदान कर चुके हैं, और उनके युवा साथियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्णा चौधरी का कहना है कि जब भी किसी ज़रूरतमंद इंसान को रक्त?की ज़रूरत हो तो, हम सभी लोगों को रक्तदान के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। इस दौरान उनके साथ इस गणेश अहिरवार, मोहित अहिरवार, अरुण अहिरवार, नीतेश अहिरवार, संस्कार अहिरवार, अंकित अहिरवार, नीलेश अहिरवार, अनुरुद्ध पटेल साथ रहे।



राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने हल्के एवं क्षेत्रों में जाएं तहसीलदार- कलेक्टर

► राजस्व अधिकारी न्यायालय में बैठने हेतु तय करें दिन- कलेक्टर

► कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक



निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कमिशनर कार्यालय से प्राप्त समयावधि पत्रों की भी समीक्षा की। कमिशनर कार्यालय से प्राप्त समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में बैठने हेतु दिन तय कर ले एवं तय किए गए दिन को प्राथमिकता के साथ न्यायालय में बैठक कर लैंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन हल्के एवं ग्राम पंचायत से ज्यादा प्रकरण हो उन हल्के व क्षेत्र के पटवारी सतत रूप से कैपे लगाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालय में बैठने हेतु दिन तय कर ले एवं तय किए गए दिन को प्राथमिकता के साथ न्यायालय में बैठक कर लैंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन हल्के एवं ग्राम पंचायत से ज्यादा प्रकरण हो उन हल्के व क्षेत्र के पटवारी सतत रूप से कैपे लगाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे जिले में कृपोषण की बीमारी से ग्राहित बच्चों की जानकारी रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कृपोषित बच्चे के समुदाय की भी जानकारी तथा कृपोषित बच्चे के घर, मोहल्ले एवं गांव का भ्रमण करें तथा उनके खान-पान एवं रहन-सहन को देखें। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि महिला बाल विकास विभाग की नीम भ्रमण के दौरान कृपोषण के इलाज एवं इससे बचाव के बारे में भी आमजनों को जानकारी दें।


कि अधिकारी नियीक्षण के दौरान छात्रावास, स्कूल, कालेज एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में मिलने वाली सुविधाओं, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। बैठक में कलेक्टर ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि वे जिले में कृपोषण की बीमारी से ग्राहित बच्चों की जानकारी रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कृपोषित बच्चे के समुदाय की भी जानकारी तथा कृपोषित बच्चे के घर, मोहल्ले एवं गांव का भ्रमण करें तथा उनके खान-पान एवं रहन-सहन को देखें। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी को नियीक्षण दिए हैं कि महिला बाल विकास विभाग की नीम भ्रमण के इलाज एवं इससे बचाव के बारे में भी आमजनों को जानकारी दें।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से ले लें तथा शिकायतों के नियाकरण करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियीक्षण करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायत को अधिकारी टेटन करें तथा उनका नियाकरण करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार कलेक्टर ने, जिले संसाधन विभाग, यहांकरिता गंभीरता से ले लें तथा शिकायतों के नियाकरण करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को नियीक्षण करते हुए कहा कि वे अपने विभाग, विभाग, सहकारिता विभाग, साहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक नियोग दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर श्रीमती प्राप्ति वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर श्रीमती अमृता गर्ग, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहर, श्रीमती ज्योति परस्ते श्रीमती अन्तोनियो एका सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

20 अक्टूबर रविवार को जिला मुख्यालय रायसेन में सामाजिक कार्यक्रमों की विशेष बैठक आयोजित है

संवाददाता हल्केवीर

उदयपुर। भारत रत्न, भारतीय संविधान के जनक, आधुनिक भारत के अकिंटन्स, बोधि सत्त्व, परम पूज्य बाबा साहब डॉ भीमराव अष्टेडकर जी के रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सागर, विदिशा, सीहोर, भोपाल आदि जिलों के समस्त अनुयायियों को सूचित किया जाता है कि 06 दिसंबर 2024 को जिला मुख्यालय रायसेन में बाबा साहब डॉ भीमराव अष्टेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना के कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर 2024, दिन रविवार को समय दोपहर में 12.00 से 04.00 बजे तक जिला मुख्यालय के डॉ भीमराव अष्टेडकर भवन रायसेन में विशेष बैठक आयोजित है। उक्त बैठक में प्रशासनिक अधिकारी /कर्मचारी गण, राजनीतिक नेतागण एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी गण विशेष अंतिथि रहेंगे। बैठक में प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम की जिम्मेदारियां तथ की जायेंगी। अतः बाबा साहब डॉ भीमराव अष्टेडकर जी के समस्त अनुयायियों से



ग्राम हाथीडोल में कोया पुनेम गौंडी धर्म दर्शन का आयोजन

संवाददाता हल्केवीर



देवरी। ग्राम हाथीडोल में दिनांक 5/10/2024 से 11/10/2024 तक बड़ा देवठाना सेवा समिति हाथीडोल के तत्वाधान में कोया पुनेम गौंडी धर्म दर्शन का आयोजन किया गया जिसमें कोया पुनेम धर्माचार्य तिरुमल 750 दादा सोहन शाह पंद्र जी द्वारा गौंडी धर्म संस्कृति, गौंडी टोटम, गौंडी सिस्टम, गौंडी पूजन पद्धति एवं गौंडी देव पूजन आदि विभिन्न गौंडी रीति रिवाज से विस्तार पूर्वक बतलाया गया। गौंडी धर्म दर्शन आयोजन में तिरु धर्मवीर राजा साहब चुनहेटिया, तिरु देवेंद्र पटेल विधायक सिलवानी, तिरु शोभाराम ऊर्झे के अध्यक्ष जनपद पंचायत चावरपाठा, तिरु रोशन लाल धुवें जनपद सदस्य उदयपुर धर्मदास इमने जनपद सदस्य सिलवानी, विजय पटेल जायस अध्यक्ष जिला रायसेन, तिरु सुग्रीव ताकुर जनपद सदस्य चावरपाठा, अंजना मरकाम अध्यक्ष महिला मोर्चा के जीएम नरसिंहपुर, हाकम सिंह बारिवा अध्यक्ष भोमक संघ रायसेन एवं क्षेत्रीय गौंड समाज आदि श्रोतागण सम्मिलित रहे।

सैकड़ों लोगों ने दी स्वर्गीय श्रीमती हल्की बाई अहिरवार को शोक श्रद्धांजलि।।

संवाददाता हल्केवीर



देवरी। तहसील देवरी के कटक में स्वर्गीय श्रीमती हल्की बाई अहिरवार को सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की दिनांक 16/10/2024 दिन बुधवार को एक शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कटक में किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने उनको शोक श्रद्धांजलि अर्पित की इस दैशन पुत्र शंकर लाल अहिरवार, हल्केवीर अहिरवार, बारेवीर अहिरवार, मुनीम अहिरवार एवं देवर रामताल अहिरवार नाती वीरेंद्र, अरविंद, चमन, मुकेश, रेवाराम लोकमन, दीपक ने भी उनको शोक संवेदनाएं व्यक्ति की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिवनी जिले के हादसे पर दुःख व्यक्त किया

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में ट्रैक्टर-ट्रॉली के हाई ट्रैक्शन लाइन के चपेट में आने से तीन नागरिकों की करण्ट लगाने से हुई असामयिक मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह पीड़ादायक घटना है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजन को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। इस हादसे में दिवंगत नागरिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दो-दो लाख रुपए की अर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं।

विनम्र अपील है कि बैठक में अवश्य पधारें। साधुवाद!! पत्रकार बंधु अपीलकर्ता- बरेलाल सूर्यवंशी, नागेश नरवरिया, आशीष रजक, संतोष मालवीय, मनोहर डागोर, हल्केवीर सूर्यवंशी, राजेश रजक, कमर राणा, मंगलसिंह चौधरी, तखत सिंह अहिरवार, मिथलेश मेहरा, विमलेश जाटव, मुकेश दिवाकर, विनोद कुमार, हरभजन जांगड़े, सुनील सेरिया

आयोजक-

गोटीराम बघेल, बब्लू चौधरी, जगदीश अहिरवार, पप्पू रेवाराम अहिरवार, प्रियंका जाटव, भगवान दास लोहट, एड. मुकेश शाक्या, तनवीर राठौरिया, मुकेश अहिरवार, काशीराम अहिरवार, धनराज सूर्यवंशी, मुकेश कटियार, पूरनलाल अहिरवार, सुरेंद्र अहिरवार, दिनेश बघेल, हेमन्त सहपुरिया, अशोक अहिरवार, कपिल अहिरवार, विश्राम सांगा, पोहप सिंह चौधरी, चैनसिंह सिसोदिया, नितिन रोहर, अंकित डागोर, जी डी बंसकार, भागचंद अहिरवार, रवि मांडरे, कोमल

अहिरवार, घासीराम अहिरवार, इंजीनियर मुकेश चौधरी, मोहन जाटव, एड. जितेंद्र मूलनिवासी, डी के बघेल, पंचम अहिरवार, बालकृष्ण नरवरिया, गोपाल केतोधानिया, खेमचंद पारोचे, हल्के भईया अहिरवार, रामकुमार जाटव, हरगोविंद त्रिपालिया, मन्न लाल चौधरी, कमलेश ठेकेदार, घनश्याम अहिरवार, कुंआर सुरजीत सिंह, मोहन मांडरे, भेरो सिंह अहिरवार, कड़ोरी लाल अहिरवार, दौलत अहिरवार, राजेंद्र अहिरवार बम्होरी, गोपाल सिंह दिवाकर, भगवानदास अहिरवार, गुडू अहिरवार, हरी प्रसाद चौधरी, डॉ धर्मेन्द्र अहिरवार, माखन सिंह परिहार, मोहन अहिरवार, सुनील वाल्मीकि, राकेश अंबेडकर, इमरत सिंह दरबार, ब्रजेश वामनिया, भगवान सिंह चौधरी, बृजेश चौधरी, रमेश कुमार सहरिया, संतोष चौधरी, रंजीत रसोलिया, निवेदक- रमन बामने मो. 9893804204, अतरसिंह भारतीय मो. 8109583277 एवं समस्त सामाजिक कार्यकर्ता, जिला रायसेन

लोकायुक्त पुलिस की छापा पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई



समनापुर। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जाडासुरां में पदस्थ सचिव मनोज यादव के आवास में आज 16 अक्टूबर की सुबह 5 बजे लोकायुक्त पुलिस की छापा पड़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गई, लोगों को छापा की जानकारी लगाते ही लोग कोतुहल बस घर के बाहर जमा हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज यादव के नियुक्ति को लेकर भी संदेह है, चौकि मनोज यादव ग्राम पंचायत बम्हनी का मूल निवासी है, जबकि इनकी नियुक्ति नियमों को दरकिनार कर ग्राम पंचायत फिटारी में की गई थी, दस्तावेजों के अवलोकन करने पर



साफ नजर आता है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में एक ही व्यक्ति, वह भी दूसरे गांव का निवासी है को प्रस्तावित पारित कर धोखाधड़ी कर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, जिसको लेकर अनेको बार शिकायतें भी हुई लेकिन पैसों के आगे प्रशासन के नियम निर्देश और जांच अधिकारी सब पस्त हो गए फिलहाल ग्राम बम्हनी स्थित आवास में लोकायुक्त पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही हैं, लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े के नेतृत्व में दस सदस्यी टीम कार्यवाही में शामिल हैं, यदि लोकायुक्त पुलिस नियुक्ति की जांच करें तो बड़ा खुलासा हो सकता है।

क्या है, अशोक धर्म विजय दिवस?



अशोक धर्म विजय दिवस एक त्योहार है जो कलिंग युद्ध के बाद सप्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की याद दिलाता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन का दिन। यह हिंदू माह अश्विन के 10 वें दिन मनाया जाता है, जो इस वर्ष 12 अक्टूबर को है। इस दिन, लाखों बौद्ध और अंबेडकरवादी नागपुर में दीक्षाभूमि जाते हैं, जहाँ डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। दीक्षाभूमि नव-बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि इसमें डॉ. अंबेडकर की राख और एक स्तूप है। जो उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है। आगांतुक बुद्ध, अंबेडकर और अशोक के प्रति समान व्यक्त करते हैं, और विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अशोक धर्म विजय दिवस धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए खुशी और शांति का दिन है। यह अशोक की करणा और बुद्धिमत्ता को याद करने का दिन है, जिन्होंने हिस्त तांग दी और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया। यह अंबेडकर की विरासत का समान करने का भी दिन है, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया और लाखों उत्तीर्णित लोगों को धर्म के माध्यम से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। धर्म प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई।

कमिशनर से अतिथि शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य यशवंत सिंह की थी शिकायत अभी तक नहीं हुई कोई कार्यवाही

रोहित तिवारी

शहडोल। विद्यालय जिसे हम मां सरस्वती का मंदिर कहते हैं और गुरु जो भगवान से बढ़ कर माने जाते हैं ऐसे में जब कोई गुरु अपने कर्तव्यों को भुल गुरु के मान सम्मान कि धर्जिया उड़ाते हुए मां सरस्वती के मंदिर को व्यापर का अड्डा बना लें तो ऐसे गुरु को आप क्या कहेंगे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा ही एक ताजा मामला प्रकाश में आया है श्रीमती पूजा सोनी पति सचिन कुमार सोनी निवासी ग्राम करुआ पोस्ट गोहपारु जिला-शहडोल (म.प्र.) की निवासी ने कमिशनर संभाग शहडोल को शिकायत पत्र दिया अपने शिकायत पत्र में श्रीमती पूजा सोनी अतिथि शिक्षक ने बताया कि गत वर्ष 2023-24 से अतिथि शिक्षक के रूप में शा.उ.मा.वि. गोडारु में अध्यापक कार्य कर रही हूँ, शासन के नियमानुसार पुर्व अतिथि शिक्षक को वर्तमान शिक्षा सत्र वर्ष 2024-25 खेले जाने का विधान है, जिसके परिपालन में श्रीमती पूजा सोनी सहित अन्य अतिथि शिक्षकों को संस्था में रखे जाने हेतु जिला अनुमोदन समिति किया जा चुका है तत्पश्चात श्रीमती पूजा सोनी दिनांक 02/08/2024 से दिनांक 25/08/2024 तक विद्यालय में अध्यापक कार्य की है प्रभारी प्राचार्य यशवंत सिंह द्वारा 15000/- रूपये जिला अनुमोदन समिति खर्च बता कर मांग गया मेरे द्वारा न दिए जाने के कारण दिनांक 26/08/2024 को श्रीमती पूजा सोनी को संस्था में अध्यापक कार्य कारये जाने से मना कर दिया गया और अतिथि शिक्षक से प्रथक कर दिया गया। बता दें कि जिला अनुमोदन समिति के द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण अनुमोदन पत्रक सत्र 2024-2025 में सभी अतिथि शिक्षकों को अनुमोदित तो कर दिया था और सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों ने पत्रक में अपनी सिल सहित हस्ताक्षर भी कर दिए थे वहीं श्रीमती पूजा सोनी ने आरोप लगाया कि प्राचार्य यशवंत सिंह ने 15000 रूपये न मिलने पर सिविल सेवा आचरण अधिनियम की धर्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पत्रक में एक टिप लिख दिया गया कि अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी वर्ग 1को छोड़ कर अनुमोदित है वहीं पत्रक में सभी अतिथि शिक्षकों के नाम के आगे सही का मार्क लगा हुआ है आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि शासकीय आदेश पत्रक में छेड़छाड़ करने वाले शासकीय कर्मचारी पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं पत्रक में जो

जिला अनुमोदन समिति के भ्रष्टचार की खुली पोल श्रीमती पूजा सोनी की शिकायत ने जहां एक और दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह के भ्रष्टचार की पोल खोल दी वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के जिला अनुमोदन समिति के भ्रष्टचार की पोल खोल दी आप स्वयं अंदाजा लगाए कि शा.उ.मा.वि. गोडारु में श्रीमती पूजा सोनी सहित कुल 11 अतिथि शिक्षक हैं और प्रति अतिथि शिक्षक से 15000 रूपये खर्च अगर लिया गया तो कुल 1,65000 रूपये शिक्षा विभाग के जिला अनुमोदन समिति खर्च अधिकारियों ने लिया वहीं अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी ने दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह के द्वारा 15000 रूपये जिला अनुमोदन समिति खर्च चर्चा न देने पर अतिथि शिक्षक से प्रथक कर दिया गया। बता दें कि जिला अनुमोदन समिति के द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण अनुमोदन पत्रक सत्र 2024-2025 में सभी अतिथि शिक्षकों को अनुमोदित तो कर दिया था और सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों ने पत्रक में अपनी सिल सहित हस्ताक्षर भी कर दिए थे वहीं श्रीमती पूजा सोनी की सेवा समाप्त होने के बाद छात्रा छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है तिमाही परीक्षा हो गई लेकिन आज दिनांक तक अर्थशास्त्र एवं भूगोल की अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी की सेवा समाप्त होने के बाद छात्रा छात्राओं की पढ़ाई पर हस्ताक्षर किया गया। अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी ने अपने दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह के खिलाफ जांच कर दिया गया।

टिप लिखा गया है उसे टिप की भी जांच होनी चाहिए।

दबंग प्राचार्य ने उच्च अधिकारियों को किया गुमराह: बता दें कि दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह ने जहां अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी से 15000 रूपये की मांग की वहीं दूसरी ओर शा.उ.मा.वि. विद्यालय गोडारु में अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी से दिनांक 02/08/2024 से दिनांक 25/08/2024 तक विद्यालय में अध्यापक कार्य भी करवा वहीं अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी द्वारा उपस्थित पंजी में अपने हस्ताक्षर भी किए गए और 26/08/2024 से सेवा समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं दबंग प्राचार्य यशवंत सिंह ने अपने उच्च शिक्षा अधिकारी बी.इ.ओ. गोहपारु को उपस्थित भी नहीं भेजा गया काम भी कराया गया और वेतन भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि अर्थशास्त्र एवं भूगोल की अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी की सेवा समाप्त होने के बाद छात्रा छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है तिमाही परीक्षा हो गई लेकिन आज दिनांक तक अर्थशास्त्र एवं भूगोल की अतिथि शिक्षक श्रीमती पूजा सोनी ने किया गया।

की है जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं गलत हैं और पत्रक में अगर कोई टिप लिखी गई है तो वह जांच का विषय है मामला गंभीर है इसकी जांच होनी चाहिए।

अमरनाथ सिंह परिहार

जिला परियोजना समन्वयक शहडोल

वह विद्यालय हमारे अंडर में नहीं है मामला हमारे पास आया था हमने लिखकर ऐसी ट्राइब्ल को भेज दिया है वहीं से उसकी जांच होकर मामले में कार्यवाही होगी समिति में हमारे यहां से एक लोग रहते हैं और कोई पैसे की मांग नहीं करते हैं।

मोहन पाठक

जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल

जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत है कमिशनर महोदय के यहां शिकायत की गई है और कमिशनर साहब के द्वारा टीम को निर्देशित किया गया है जांच के लिए अभी टीम नहीं आई है जिस दिन टीम आएगी सब स्पष्ट हो जाएगा।

यशवंत सिंह प्राचार्य

हायर सेकंडरी विद्यालय गोडारु

हां हमारे भी पत्रक में हस्ताक्षर होते हैं लेकिन उसमें कोई टीप नहीं लिखी गई है और अगर टिप लिखी है तो किसने लिखी है वह जांच का विषय है आप शिकायत की काफी हमको दिलवाई है हम उसकी जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे।

आनंद राय सिंह

सहायक आयुक्त आदिवासी

विकास विभाग शहडोल

पांच हजार रूपये का ईनामी आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट रोहित तिवारी




पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक के द्वारा जिले में पूर्व के अपराधों में फरार आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गए हैं। जिसके तारतम्य में दिनांक 20.09.2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में आरोपी शनि पनिका (दिवान) पिता जगत्राथ पनिका उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लखविराया घटना दिनांक से फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा 5000/- रूपये ईनाम की घोषणा की गई थी। खैरहा पुलिस द्वारा दिनांक 2024 को आरोपी शनि पनिका को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना खैरहा से उपनिसि दिलीप सिंह के नेतृत्व में प्रारोप 0 राम नाथ बांधव, आरो 0 सतीश कुमार एवं परिजन कंसाना के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने में सराहनीय भूमिका रही है।

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सतारूढ़ वामपंथी सरकार पर अपने हमले तेज करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य में हो रहे 'देश विरोधी अपराधों' को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि अब तक मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक 'मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना' नियमित रूप से राजभवन आते रहे हैं और अब 'उनका और स्वागत नहीं किया जाएगा।'

खान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक ब्रान में कई 'देश-विरोधी गतिविधियों' और 'राज्य-विरोधी गतिविधियों' शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मानते हैं कि राज्य में 'देश विरोधी' अपराध क्या है। यह किस तरह की गतिविधि है। क्या यह अधिक



अपराध हो रहे हैं। राज्यपाल ने हाल ही में विजयन द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए यह बत रही। खान ने कहा, 'देश विरोधी अपराध क्या है। यह किस तरह की गतिविधि है। क्या यह अधिक

गंभीर नहीं है? क्या आपको (मुख्यमंत्री) मुझे जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था? आप अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि जब देश के खिलाफ ऐसे अपराध किए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति तथा केंद्र सरकार को सूचित करना पड़ता है और इसके लिए जानकारी होना जरूरी है। खान ने कहा, 'इसलिए, मैंने जानकारी मांगने के लिए खान द्वारा मुख्य सचिव और डी.जी.पी को उन्होंने इसे स्वीकार भी नहीं किया। उन्होंने 27 दिन बाद इसका जवाब दिया, जब मैंने मुख्य सचिव और डी.जी.पी को बुलाया। लोकन, उन्होंने (मुख्यमंत्री) को जानकारी नहीं दी।'